न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आरएएस)

अपील संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
06/2018	20.07.2018	24.06.2025

बउनवान

1. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री कंवरसिंह जाति अहीर निवासी मीरपुर तह0 कोटक़ासिम जिला अलवर राज0।
2. इन्द्रा देवी पत्नी प्रकाशचन्द जाति अहीर निवासी पहाडवास (साहरणवास) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बीजवाड चौहान तहसील मुण्डवर जिला अलवर राज0।

:– असल रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत बीजवाड चौहान प0 स0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 बाबत इन्तकाल संख्या 529 दिनांक 05.07.2011

श्री जगन्नाथ यादव –: वकील अपीलान्ट

अपीलान्ट के अपील प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है किं

1. यह है कि आराजी ख० नं0 227 रकबा 0.82 हैक0, 231 रकबा 0. 22 हैक0, 232 रकबा 0.19 हैव०, कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 हैक०, वाके ग्राम गादली तहसील मुण्डावर का 34/105 भाग मे 2/3 भाग अपीलान्ट सं० 1 व 1/3 भाग अपीलान्ट सं० 2 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 08/06/11 को खरीद की थी, जिसका इंतकाल सं० 529 पटवारी हल्का ने भरते समय सहवन से हिस्से गलत दरज कर दिये व ग्राम पंचायत भी इंतकाल फैसल करते समय गौर नहीं किया जो इंतकाल काबिल निरस्त है।
2. यह है कि उक्त आराजी ख० नं0 227, 231, 232 का 34/105 भाग में से अपीलान्ट सं० 1 को 2/3 भाग व अपीलान्ट सं० 2 को 1/3 भाग खरीद किया था जो इंतकाल सं० 529 में हम अपीलान्ट के हिस्से 34/105 गुणा 2/3 बराबर 68/315 अपीलान्ट सं० 1 संतोष देवी को एवं 34/105 गुणा 1/3 बराबर 34/315 अपीलान्ट सं० 2 इन्द्रा देवी को दरज कर फैसल करना चाहिये था जो तहत अदालत से गौर नहीं हुवा व उसने अपीलान्ट सं० 1 संतोष देवी का 68/415 व अपीलान्ट सं० 2 इन्द्रा देवी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

का 34/415 भाग गलत दरज कर दिया जो आज्ञा दिनांक 05/07/11 ग्राम पंचायत बीजवाड चौहान काबिल निरस्त है, व अपील मंजूर की जावे।

3. यह है कि उक्त निर्णय की जानकारी हम अपीलान्ट को दिनांक 25/04/18 को हुयी तथा नकले 08/06/18 को प्राप्त हुयी जिससे अपील अन्दर मियाद पेश है।
4. यह है कि मातहत अदालत का निर्णय शून्य करार दिये जाने योग्य है। इसलिये अपील अन्दर अवधि पेश है।
5. यह है कि निर्णय दिनांक 05/07/11 से जानकारी होने दिनांक 25/04/18 व नकल प्राप्त होने 08/06/18 तक का समय कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जावे।

अपीलान्ट के अपील प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि.

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय को निर्णय निरस्त कर बैयनामे अनुसार अपीलान्ट सं० 1 का 68/315 व अपीलान्ट सं० 2 का 34/315 भाग दरज करने के आदेश करने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

अपीलान्ट की ओर से दफा 05 कानूनी मियाद अधिनियम मिन प्रार्थीया/अपीलान्ट की और से मिन पेश है:–

प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि उक्त अनुवान मे इंतकाल सं0 529 के फैसले की जानकारी हम अपीलान्टान को दिनांक 25/04/18 को हुयी इससे पूर्व हमे इस फैसले की जानकारी नहीं थी, इसके पश्चात हम अपीलान्टान ने अपने वकील साहब से परामर्श कर नकुलात तैयार करायी जो नकुलात हमे 08/06/18 को मिली।
2. यह है कि उक्त इंतकाल को फैसला दिनांक 05/07/11 से जानकारी होने दिनांक 25/04/18 व नकुलात हांसिल करने दिनांक 08/06/18 तक का समय कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जावे।
3. यह है कि उक्त निर्णय गलत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेशकर अर्ज है कि उक्त इंतकाल का फैसला दिनांक 05/07/11 से जानकारी होने दिनांक 25/04/18 व नकुलात हांसिल करने दिनांक 08/06/18 तक का समय कन्डोन (माफ) किया जाने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

अपीलान्ट ने अपने अपील प्रार्थन पत्र के समर्थन में बैयनामा, जमाबन्दी सम्वत 2069–72, नामान्तकरण, जमाबन्दी सम्वत 2065–68 पेश की।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद की गई है। अपीलान्ट द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड बैयनामा को दर्ज करवाने बाबत हल्का पटवारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो हल्का पटवारी द्वारा बिना सही जॉच करे ही मुताबिक बैयनामा इन्तकाल दर्ज नही किया गया। जिसके कारण अपीलान्ट का हिस्सा सही दर्ज नही हो सका। उक्त के बाबत अपीलान्ट को जानकारी होते ही राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त कर अविलम्ब न्यायालय के समक्ष अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्ट का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक बैयनामा दर्ज किये जाने का श्रम करे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात व अपीलान्ट वकील की बहस पर मनन करने विवेचन इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 227 रकबा 0.82, 231/0.22, 232/0.9 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 है0 का 34/105 हिस्सा में से अपीलान्ट संख्या 01 ने 2/3 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 02 ने 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय किया गया था। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा उक्त हिस्से अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नही किया गया। इसलिए अपीलान्ट का अपील प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 05 कानूनी मियाद अधिनियम में अंकित अवधि को कन्डोन कर अपीलान्ट का अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 529 दिनांक 05.07.2011 को खारिज कर तहसीलदार मुण्डावर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 08.06.11 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 227 रकबा 0.82, 231/0.22, 232/0.9 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 है0 का 34/105 हिस्सा में से अपीलान्ट संख्या 01 का 2/3 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 02 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद किये जाने बाबत अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

आदेश दि0 7/7/25 के अनुसार ख0नं0 232/0.9 के स्थान पर ख0नं0 232/0.19 पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner